



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

14 फाल्गुन, 1946 (श०)

संख्या - 121 राँची, बुधवार,

5 मार्च, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

13 फरवरी, 2025

संख्या-5/आरोप-1-167/2014 का०-822--श्री दयानन्द महली, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-302/03), तत्कालीन उप सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची के विरुद्ध खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1391, दिनांक 17.09.2009 द्वारा राशन कार्ड के मुद्रण में अनियमितता बरतने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

2. उक्त आरोप पर श्री महली द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-181, दिनांक 16.01.2013 द्वारा प्राप्त मंतव्य तथा उक्त विभाग के पत्रांक-3407, दिनांक 29.08.2016 से प्राप्त प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभाग स्तर पर श्री महली के विरुद्ध आरोप पत्र गठित किया। आरोप पत्र में इनके विरुद्ध निम्न आरोप प्रतिवेदित किया गया-

आरोप- श्री दयानन्द महली, तत्कालीन उप सचिव, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा मेसर्स सेतु प्रिन्टर्स को बिना समाचार पत्र में निविदा प्रकाशित कराये वित्तीय नियमावली एवं वित्त विभाग, झारखण्ड के संकल्प सं०-5703/वि०, दिनांक 01.10.2002 द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति का उल्लंघन कर 10,45,000 बी०पी०एल० एवं 1,30,000

अन्त्योदय राशन कार्ड मुद्रित कराया गया, जिससे 76,88,452/-रु० (64,74,761/-रु० मूलधन+12,13,691/-रु० सूद) की सरकारी राशि का भुगतान करना पड़ा।

3. श्री महली के विरुद्ध आरोप पत्र में गठित आरोपों की जाँच हेतु विभागीय संकल्प सं०-9754, दिनांक 18.11.2016 द्वारा पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-247, दिनांक 04.12.2018 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोप सही प्रतिवेदित किया गया है।

4. संचालित विभागीय कार्यवाही के विरुद्ध श्री महली द्वारा दायर W.P.(S) No.-82/2017 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31.01.2017 को आदेश पारित करते हुए उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही दिनांक 06.03.2017 तक के लिए स्थगित रखने का आदेश दिया गया।

5. तत्पश्चात्, W.P.(S) No.82/2017 Dayanand Mahli Vrs. State of Jharkhand and Ors. में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.07.2023 को न्यायादेश पारित कर श्री महली के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही संकल्प सं०-9754, दिनांक 18.11.2016 को रद्द कर दिया गया।

6. माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 10.07.2023 को पारित न्यायादेश के विरुद्ध विभाग द्वारा L.P.A. No. 127/2024 दायर की गई। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 11.06.2024 को न्यायादेश पारित करते हुए विभाग द्वारा दायर LPA को Dismissed कर दिया गया है।

7. संबंधित वाद एवं मामले की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि श्री दयानन्द महली से संबंधित मामला 15 वर्षों से अधिक पुराना है एवं वे दिनांक 30.11.2011 को ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा W.P.(S) No. 82/2017 में दिनांक 10.07.2023 को पारित न्यायादेश में संचालित विभागीय कार्यवाही को रद्द कर दिया गया है एवं उक्त वाद के विरुद्ध विभाग की ओर दायर L.P.A. No. 127/2024 को भी Dismissed कर दिया गया है।

अतः समीक्षोपरांत, श्री दयानन्द महली, सेवानिवृत्त झाप्र०से० (कोटि क्रमांक-302/03), तत्कालीन उप सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची से संबंधित इस मामले को संचिकास्त किया जाता है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री दयानन्द महली, सेवानिवृत्त झाप्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के उप सचिव।
